

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा-2025

शिविर- चौथ का बरवाड़ा

प्रकरण संख्या:- 186/2025-

दिनांक:- 4/1/2025-

श्री कुलाश पुत्र
मनसुखा

खुमबान

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दरस्तावेज, पटवारी हल्का पांक्डेर भू. अ. नि. पांक्डेर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांक्डेर पो. डो पांक्डेर की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 70 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	<u>रहन</u>	<u>कुलाश पुत्र</u> <u>मनसुखा</u> <u>रहन SBBJ</u> <u>शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>	<u>कुलाश पुत्र</u> <u>मनसुखा</u> <u>रहन SBI</u> <u>शाखा चौथ का बरवाड़ा</u>

प्रतिहिपी :-

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रस्तुत करे।
2. प्रार्थी श्री कुलाश पुत्र मनसुखा नि पांक्डेर
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

चौथ का बरवाड़ा (सं मा)



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सं मा)